कार्यालय: महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, हिसार

विज्ञप्ति

शिक्षुक अधिनियम 1961 के अंतर्गत इस कार्यालय में औद्योगिक शिक्षुओं का एक वर्ष के लिए चयन किया जाना है। चयनित शिक्षुओं को प्रशिक्षण एवं भत्ता शिक्षुक अधिनियम 1961 के अंतर्गत देय होगा। ट्रेड वाईज विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	ट्रेड का नाम	शिक्षुओं की संख्या
1.	मैकेनिक डीजल	30
2.	वैल्डर	09
3.	इलैक्ट्रीशियन	12
4.	मोटर मैकेनिक	22
5.	कारपेन्टर	08
6.	कोपा	02
7.	टरनर	02
8.	स्टेनो हिन्दी	03
9.	पेन्टर	02

इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाईन लिंक (https://apprenticeshipindia.org) पर दिनांक 12.02.2025 से 18.02.2025 तक कर सकते हैं । आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार, आई0टी0आई0 विभाग द्वारा जारी की गई आई0टी0आई0 पास की मूल अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र व आवासीय प्रमाण-पत्र भी अपलोड करें व उम्मीदवार अपनी ई-मेल आई0डी0 सही लिखे। कोई भी आवेदन सीधे तौर पर कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त रिक्त पदों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

चयन के लिए नियम व शर्तें :-

1. आवेदन के समय उम्मीदवार पूर्ण प्रोफाईल भरेगा ।
2. उम्मीदवार हरियाणा का मूल निवासी हो ।
3. उम्मीदवार ने जिस ट्रेड से आई0टी0आई0 पास की है केवल उसी ट्रेड में ही आवेदन करेगा ।
4. ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 18.02.2025 उपरान्त दिनांक 20.02.2025 से 28.02.2025 तक कार्यालय में गठित कमेटी के सम्मुख अपनी प्रोफाईल मूल दस्तावेज व आई0टी0 अंको का मिलान कराएगा। इसके लिए कोई अलग से सूचना नहीं भेजी जाएगी। अगर कोई उम्मीदवार इस दौरान कमेटी के सम्मुख मूल दस्तावेज का मिलान नहीं कराएगा तो उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. शिक्षुओं का चयन आई0टी0आई0 से प्राप्त अंको की मैरिट अनुसार किया जाएगा ।
6. शिक्षुता ग्रहण कर चुके उम्मीदवारों का चयन नहीं किया जाएगा।
7. चयनित उम्मीदवारों को मुफ्त परिवहन सुविधा नहीं प्रदान की जाएगी।
8. चयनित उम्मीदवारों को निश्चित तिथि पर कार्यग्रहण करना होगा तथा उन्हें ई-मेल द्वारा सूचित कर दिया जाएगा।

महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन,
हिसार।

PRDH-1119/11/576/2025/32221/10/6